

22 मार्च 2011 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 71 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 71 वीं बैठक 22 मार्च 2011 को सायं 3.00 बजे बोर्ड के कोची के कार्यालय में संपन्न हुई।

श्री. वी. जे. कुरियन भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की और निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डॉ. ए. जयतिलक भा.प्र.से.
2. श्री के. के. सिंह
3. डॉ. विजू जेकब
4. डॉ.वी. ए. पार्थसारथी
5. श्री पी.जे. कुञ्जच्चन
6. श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी
7. श्री फिलिप कुरुविळा
8. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
9. श्री. माधवन
10. श्री जी. मुरलीधरन
11. श्री अबुल कलाम
12. श्री रोय के पाउलोस
13. श्री जॉर्ज वैली
14. श्री जोजो जॉर्ज

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद(लो.स.)
2. श्री. पी. टी. थॉमस, सांसद(लो.स.)
3. श्री अमरित राज
4. श्रीमती सुतपा मजूंदार
5. श्री संजीव चोप्रा
6. श्री अजय जे. मारिवाला
7. एडवोकेट जोय थॉमस
8. डॉ. वी. प्रकाश
9. श्री मंगत राम शर्मा
10. श्री के.सी.प्रधान

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :-

1. श्री उमेष कुमार
2. डॉ.एन.सी.साहा
3. श्री राजेन्द्र पी गोखले

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री पी.एम. सुरेशकुमार, सचिव और निदेशक(विपणन)
2. डॉ. जे.थॉमस, निदेशक(अनुसंधान व विकास)
3. श्री के.सी. बाबु , निदेशक(वित्त)
4. श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'ग'
5. श्री बी. श्रीकुमार, उप निदेशक(विपणन)
6. डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार)

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और श्री के.के. सिंह, बागवानी निदेशक, सिक्किम सरकार का परिचय दिया, जो पहली बार बोर्ड बैठक में उपस्थित थे ।

अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के सदस्य श्री जोस कोम्पनातोर्टम, जो लंबे अरसे से बीमार थे, उनका 24 जनवरी, 2011 को देहांत होने की सूचना भी दी । यह याद किया गया कि श्री जोस कोम्पनातोर्टम ने दो बोर्ड - बैठकों में भाग लिया था और विचार-विमर्श में सक्रिय रहे । दिवंगत सदस्य के प्रति आदर प्रकट करते हुए एक मिनट का मौन रखा गया और एक शोक संकल्प पारित किया गया ।

उसके बाद कार्यसूची की मदों पर चर्चा हुई ।

मद सं . 1: 06-01-2011 को संपन्न बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

श्री फिलिप कुरुविळा द्वारा कार्यवृत्त की मद सं.14 के अधीन सुझाए परिवर्तन के साथ कि जाँच किए गए मामले मुख्यतः एफ्लाटोक्सिन के थे न कि नाशकजीवनाशी अवशेष के, पुष्टि की गई ।

मद सं.2 : 06-01-2011 को संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 70 वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट

श्री पी.एम. सुरेशकुमार, सचिव ने 6 जनवरी 2011 को संपन्न बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई का संक्षेप में विवरण दिया । अतिरिक्त श्रम शक्ति के साथ गुना कार्यालय को मज़बूत बनाने पर मद सं.7 के संबंध में सचिव महोदय ने सूचित किया कि एक अनियत मज़दूर को भी दैनिक मज़दूरी पर कार्यालय में काम में लगया गया है । अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त स्टाफ पर जल्दी ही विचार किया जाएगा ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं. 3 : अप्रैल-जनवरी, 2009-10 की अपेक्षा अप्रैल-जनवरी, 2010-11 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात की पुनरीक्षा

श्री बी. श्रीकुमार, उप निदेशक(विपणन) ने चालू वर्ष के दौरान निर्यात-निष्पादन की संक्षेप में पुनरीक्षा की। अप्रैल-जनवरी 2010-11 के दौरान मसाले निर्यात 5485.00 करोड़ रुपए मूल्यवाला 4,33,455 टन के स्तर तक पहुँच गया है। डोलर की हैसियत से, लब्धि 1.20 अरब की है। वर्तमान रुख चालू रहता है तो, यह प्रतीक्षा की जाती है कि निर्यात 1.4 अरब यू एस डोलर के स्तर तक पहुँचेगा।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 4: अप्रैल-जनवरी, 2009-10 की तुलना में अप्रैल-जनवरी, 2010-11 के दौरान भारत में मसालों के आयात की पुनरीक्षा

आयात की संक्षिप्त पुनरीक्षा की गई और यह रिपोर्ट किया गया है कि मात्रावार आयात अप्रैल-जनवरी 2009-10 के 93,545 टनों से अप्रैल-जनवरी 2010-11 के दौरान 69,927 टन होकर नीचे आया है, जो अच्छा रुख है। श्री पी.जे. कुञ्जचन ने राय प्रकट की कि अन्ततोगत्वा, बड़े पैमाने पर आयात घरेलू उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 5 : खण्ड अवधि 2011-14 के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रेशन का नवीकरण - रजिस्ट्रीकरण शुल्क में वृद्धि

2000 रुपए से 10,000/-रुपयों में रजिस्ट्रीकरण शुल्क बढ़ाने के संबंध में श्री फिलिप कुरुविळा, बोर्ड सदस्य ने सुझाया कि प्रस्ताव के अनुमोदन के पूर्व विनिर्माता निर्यातकों की सुविधाओं को देखने/मूल्यांकित करने की ज़रूरत है। श्री पी.जे. कुञ्जचन ने सुझाया कि प्रस्तावित वृद्धि 5000/-रुपए तक सीमित की जा सकती है।

विशद चर्चा के उपरान्त, बोर्ड ने रजिस्ट्रीकरण शुल्क 2000/-रु. से 5000/-रु. और नवीकरण शुल्क 1000/-रु. से 2,500/- करके बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद सं.6 : स्पाइसेस पार्कों एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्थिति

स्पाइसेस पार्कों एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थिति श्री बी. श्रीकुमार, उप निदेशक(विपणन) ने विस्तार में बता दी। पुट्टडी में स्पाइस पार्क का उद्घाटन 13 फरवरी 2011 को किया गया। यह प्रतीक्षा की जाती है कि मई, 2011 के अन्त तक और तीन मसाले पार्क पूर्णतया चालू होंगी।

बोर्ड ने गुण्टूर पार्क में करीब 12 निर्यातकों को 35 एकड़ ज़मीन अपनी ही प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए आबंटित की है। शिवगंगा में 10 एकड़ ज़मीन 6 निर्यातकों को आबंटित की गई। शेष 30 एकड़ ज़मीन के लिए व्यक्तिगत निर्यातकों से निवेदन प्राप्त हो रहे हैं। परियोजना मई, 2011 के अन्त तक पूरी होने की प्रतीक्षा की जाती है। जोधपुर के संबंध में, लगभग सभी सिविल और इलक्ट्रिकल कार्य सौंप दिए गए हैं और वे पूरे हो रहे हैं और अपने यूनितों की स्थापना के लिए निर्यातकों से ढेर सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। कोटा, राजस्थान में सिविल कार्य प्रगति पर है और और पाँच-छः महीनों के अन्तर्गत पूरा हो जाएगा। मेहसाना, गुजरात में 96 एकड़ ज़मीन अर्जित की गई और हमने मेसर्स किट्को को परियोजना के परामर्शदाता के रूप में लगा दिया है। गुना में, हम राज्य सरकार से ज़मीन के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं। जिला कलक्टर, गुना ने पार्क के लिए चुनी गई ज़मीन का ब्यौरा राज्य सरकार को अग्रेषित किया है।

कर्नाटक में स्पाइसेस पार्क की स्थापना के संबंध में श्री अबुल कलाम, सदस्य के एक सवाल पर अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने बोर्ड को अभी तक ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया है और ज़मीन के मिलने पर, बोर्ड अगली पाँच वर्षीय योजना (2012-2017) में इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करेगा।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के संबंध में कहा जाय तो, नई दिल्ली की प्रयोगशाला के लिए सभी प्रमुख उपकरण प्राप्त किए गए हैं और स्थापना चालू है। प्रयोगशाला अगले महीने प्रवृत्त होगी। चेन्नई प्रयोगशाला का काम लगभग पूरा हो गया है और अप्रैल, 2011 के अन्त तक प्रवृत्त होगी। कोलकत्ता के मामले में, ज़मीन आबंटित की गई है और सिविल एवं इलक्ट्रिकल काम के लिए निविदा देने का कार्य चालू है। तूतुकोरिन के संबंध में, प्रयोगशाला-मकान लगभग पूरा हो चुका है और मई, 2011 तक चालू हो जाएगी। कण्डला में, बोर्ड को अभी अभी ज़मीन प्राप्त हुई है और यह परियोजना मेसर्स किट्को को सौंपा गया है। मेसर्स किट्को ने प्लान का नक्शा दिया है।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं 7 : मसालों में एफ्लाटोक्सिन मिलावट के अध्ययन के लिए यूरोपियन यूनियन मिशन का दौरा

ई यू कमीशन ने फरवरी 2011 के दौरान बोर्ड के कोच्ची एवं मुंबई की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं का दौरा किया। उन्होंने माह के दौरान कोचिन एवं मुंबई में तीन-तीन मसाले प्रसंस्करण यूनितों का भी दौरा किया। उन्होंने मसालों एवं मसाले उत्पादों में एफ्लाटोक्सिन मिलावट तथा उसके नियंत्रण उपायों के बारे में बोर्ड के पदाधिकारियों तथा निर्यातकों के साथ विशद चर्चाएं की। ई यू कमीशन से उनके दौरे पर रिपोर्ट की अब भी प्रतीक्षा है। उसके मिलने पर, उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच फीड बैक के लिए परिचालित की जाएगी। प्राप्त फीड बैक के आधार पर, अन्तिम रिपोर्ट कमीशन को वापस भेजी जाएगी।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 8 : वर्ष 2011-12 के लिए बजट आकलन

बोर्ड ने इस मद पर विस्तृत चर्चा की। यह सूचित किया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान के 85.00 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में से मार्च, 2011 के प्रथम हफ्ते तक खर्च 74.07 करोड़ रुपए का था। चूँकि इमदाद के लिए बहुत-से आवेदनों का प्रक्रमण किया जा रहा है, पूरी रकम 31 मार्च तक खर्च की जाएगी। वर्ष 2011-12 के लिए यद्यपि बोर्ड ने 171.64 करोड़ रुपए के लिए प्रस्ताव भेजे हैं प्रतीक्षित आबंटन केवल 100.00 करोड़ रुपए का रहेगा। अतः कुछ परियोजनाओं को काट डालना है। यह भी सूचित किया गया कि बजट आबंटन एक बार किया जाता है, जिसे बोर्ड या मंत्रालय द्वारा अधिक कार्यक्रमों या पहल लेने हेतु बदला नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड ने बारहवीं योजना के लिए एप्रोच पेपर की तैयारी के लिए उद्योग के पणधारियों के साथ चर्चा पहले ही शुरू की है।

श्री जोजो जोर्ज ने “ इलायची रोपणियों एवं कालीमिर्च के पुनरोपण एवं पुनर्युवन” के तहत कम खर्च के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टीकरण दिया कि बड़ी इलायची के कृषक योजनाओं के प्रति ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, चूँकि वे पर्यटन में ज्यादा लगे हुए हैं।

श्री के.के. सिंह, निदेशक, बागवानी ने भी यह सूचित किया कि यद्यपि उत्तरपूर्व में बड़ी इलायची की खेती में बहुत बड़ी संख्या में कृषक लगे हुए हैं, फिलहाल इसकी खेती में भारी गिरावट, यानि बीमारियों एवं अन्य कारणों से करीब 18% आ गई है। कृषक लोग नई तकनोलजियां अपनाने में विशेष रुचि नहीं दिखाते जिसके फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट आती है। अध्यक्ष महोदय इस बात से सहमत हो गए कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसपर अधिकारियों से चर्चा करने और समाधान ढूँढ निकालने की ज़रूरत है। श्री के.के. सिंह ने इस तथ्य की सराहना की कि स्पाइसेस बोर्ड ने बड़ी इलायची के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

डॉ.जे. थॉमस, निदेशक(अनुसंधान व विकास) ने सूचित किया कि बोर्ड वयनाड एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में 5.00 करोड़ रुपए खर्च करेगा और मार्च के अन्त तक बोर्ड लक्ष्य पाएगा।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं.9 : गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों का स्टैटस

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित परेषण नमूनों का स्टैटस विस्तार से बताया गया। श्री सुषमा श्रीकण्ठत्त ने सुझाया कि अन्य 21 रंगों/रंजकों के लिए नमूनों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसे विश्लेषण के लिए इन नमूनों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जांच करना होगा, जो बहुत ही खर्चीला है।

अतः गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में वर्तमान तौर पर 9 रंजकों के लिए की जा रही जाँच के अतिरिक्त, अन्य रंगों/रंजकों के लिए अनिवार्य जाँच का सुझाव किया गया। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टीकरण दिया कि हम इस दिशा में शुरूआत कर सकते हैं।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 10 : गुना(मध्यप्रदेश) में बीजीय मसालों पर गुणवत्ता जागरूकता अभियान

डॉ. पी. एस. एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार) ने आदरणीय बोर्ड सदस्य श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी के सक्रिय समर्थन के साथ मार्च, 2011 के पहले हफ्ते के दौरान गुना में आयोजित गुणवत्ता जागरूकता अभियान, जो खास तौर पर धनिया के लिए था, के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सूचित किया कि खेत एवं स्कूल स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। स्कूलों में बच्चों को मसालों से संबंधित प्रश्नोत्तर के ज़रिए उपयोगी संवाद में भागीदार बनाया गया। बोर्ड ने हिन्दी में 'निरखें...परखें' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें मसालों की खेती और गुणवत्ता पहलुओं का विवरण कहानी के रूप में दिया गया है। इसका लक्ष्य इस मामले को पूरे गाँव में पहुँचाना सुनिश्चित करना है। खेती तथा अन्य गुणवत्ता मामलों पर किसानों, व्यापारियों, छात्रों व अन्य पणधारियों से ढेर सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी ने भी ऐसे कार्य की पहल करने में स्पाइसेस बोर्ड की सराहना की। उन्होंने सूचित किया कि सरकार, कृषक एवं रोपक के प्रतिनिधियों से खेती के पहलुओं और गुणवत्ता पर चर्चा हुई, जो खेती के मामले और गुणवत्ता से जुड़े मामलों को समझने में बहुत ही सहायक थी।

बोर्ड ने नोट किया।

मद सं. 11 स्पाइसेस बोर्ड रजत जयंती समारोह

डॉ. पी.एस.एस. तंपी, उप निदेशक(प्रचार) ने इस साल फरवरी से 26 फरवरी 2012 तक बोर्ड के रजत जयंती समारोह के भाग के रूप में किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में बताया। इस कार्यक्रम की विशेषता बोर्ड के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की भागीदारी है।

श्री फिलिप कुरुविळा ने बताया कि चूँकि आज का मुख्य मसाला गुणवत्ता है, प्रस्तावित फिल्म गुणवत्ता-अध्ययन पर ज़ोर देनेवाली होनी चाहिए। उन्होंने सुझाया कि सभी मसाला-मदों को प्रमुख एवं चुनिंदा मसाले समझा जाए जो प्रमुख निर्यात अर्जक हैं और मूल्य-योजन पर अहमियत देने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बोर्ड से सभी मसालों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने और चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड बोर्ड आदि जैसे अन्य पण्य बोर्डों के समान, जो केवल एक ही उत्पाद की देख-भाल करता है, न होकर बोर्ड को इलायची को छोड़ अन्य मसालों की उपेक्षा नहीं करने का आह्वान किया चूँकि बोर्ड मुख्यतः इन सभी मसालों के निर्यात संवर्धन से जुड़ा हुआ है। इस दिशा में, पूरे 52 मसालों के लिए अधिकाधिक बजट आबंटन किया जाना चाहिए। उन्होंने जायफल का उदाहरण उद्धृत किया, जो एक प्रमुख मसाला मद है, जिस पर इस सिलसिले में ध्यान दिया जाना है।

श्री जोर्ज वैली ने सुझाया कि किसानों को भी रजत जयन्ती समारोह में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें नाशकजीवनाशी अवशेष अपमिश्रण पर जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने आगे सुझाया कि स्पाइसेस बोर्ड के गठन के 25 वें वर्ष में देश के विविध क्षेत्रों से 25 मसाले कृषकों को कोच्ची में लाया जाए और उनका सम्मान किया जाए।

श्री जोर्जो जार्ज ने राय प्रकट की कि निर्यातकों के साथ ही साथ कृषकों को भी पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। श्री पी.जे. कुञ्जच्चन भी इस बात से सहमत हुए कि कृषकों को भी ज्यादा प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाय। डॉ. वी.ए. पार्थसारथी ने सुझाया कि प्रतिमान कुछेक मसालों तक सीमित न रखकर समस्त मसालों के लिए होना चाहिए। लेकिन श्री जोर्जो जार्ज ने बताया कि बोर्ड का अधिदेश केवल इलायची के लिए है, इसको केवल इलायची कृषकों तक प्रतिबंधित रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि उत्पादकता मुख्य प्रतिमान होना चाहिए और समितियों में कृषकों/निर्यातकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने से वे सहमत हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड कम से कम इलायची, कालीमिर्च, मिर्च, अंदरक, जायफल, धनिया, जीरा एवं पुदीना जैसे सात से आठ तक की प्रमुख मसाले मर्दों के उत्पादन, उत्पादकता एवं निर्यात पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। उत्पादकता के तौर पर सबसे श्रेष्ठ कृषक को एक पुरस्कार देने पर भी विचार किया जा सकता है। यहाँ लाए जानेवाले कृषकों को टी ए, डी ए आदि भी चुकाया जा सकता है।

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने उपर्युक्त सुझावों को शामिल करते हुए कार्यक्रम के लिए 25.00 लाख रुपए की वित्तीय लेनदेन के लिए अनुमोदन दिया।

मद सं. 12 : मसालों के निर्यात बढ़ाने हेतु बोर्ड सदस्य से सुझाव

श्री फिलिप कुरुविळा ने आगामी सालों में मसालों का निर्यात बढ़ाने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों का सार पेश किया। उन्होंने बताया कि अगले पाँच सालों के दौरान, हम मूल्य योजन, निर्यातयोग्य अधिशेष एवं गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से अधिक निर्यात को लक्ष्य बनाते हैं। उन्होंने कुछेक मसालों के निर्यातयोग्य अधिशेष में कमी का सामना करने के लिए बोर्ड के अधिदेश का विस्तार करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जो निर्यात की हैसियत से एक प्रमुख समस्या है। उन्होंने यह भी मत प्रकट किया कि अधिशेष उत्पादन की अनुपलब्धता केवल निर्यात में ही नहीं, बल्कि घरेलू उपभोग की भी एक समस्या है। उन्होंने आर के वी वाई योजनाओं के अधीन गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी मसालों की खेती के लिए योजनाओं को फैलाने की सिफारिश की। कटाई उपरान्त सुधार कार्यक्रम ऐसा एक अन्य क्षेत्र है, जिसपर ध्यान दिया जाना है, जो अब केवल कुछ मर्दों तक फैला हुआ है।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर एफ एस एस ए आइ से घनिष्ठ संबंध रखने की ज़रूरत भी महसूस की। रजिस्ट्रीकृत 3510 निर्यातकों में से, 606 निर्माता निर्यातक हैं और 33 निर्यातक मसाला भवन प्रमाणन प्राप्त हैं। इसी प्रसंग में, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए मसालों सहित खाद्य उत्पादों के सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करने में एफ एस एस ए आइ का महत्व सोचा और समझा जाता है। अब यह एक या दो मदों तक सीमित है, लगभग सभी मदों को एफ एस एस ए आइ द्वारा खाद्य सुरक्षा के नियमों के अधीन लाया जाना अपेक्षित है।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त भी इससे सहमत हुईं कि हमें किसानों से मिलकर काम करने की भारी गुंजाइश है। भारी धातु जैसे अपमिश्रण मिट्टी से आते हैं और नाशकजीवनाशी अवशेषों की समस्या भी है। हमें समस्त कार्यक्रमों को व्यवहार्य बनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले पर बहुत चर्चा एवं विचार की ज़रूरत है। इसकी सिफारिश बारहवीं पाँच वर्षीय योजना के लिए कार्य योजना के दौरान निर्णय लेने के लिए सरकार को भेजनेवाले प्रस्ताव पत्रों का आधार बनेगी। अध्यक्ष महोदय भी श्री फिलिप कुरुविळा द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हो गए और ऐसे सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्योंवाली एक समिति गठित करने का सुझाव दिया ताकि अगली पाँच वर्षीय योजनावधि में इसे सरकार के ध्यान में लाया जाय :-

1. श्री फिलिप कुरुविळा - उप-समिति का अध्यक्ष
2. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
3. श्री पी.जे. कुञ्जचन
4. श्री जोजो जोर्ज
5. श्री जोर्ज वैली
6. श्री रोय के. पाउलोस

यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजनार्थ एक टिप्पणी तैयार की जाएगी और निदेशक(विपणन) द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

मद सं. 13 : बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव

श्री फिलिप कुरुविळा द्वारा प्रस्तावित और डॉ. विजू जेकब द्वारा समर्थित श्री रोय के. पाउलोस को 22 मार्च, 2011 से शुरू होनेवाले एक साल की अवधि के लिए स्पाइसेस बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुन लिया।

मद सं. 14 : स्थाई समितियों का पुनःगठन

22 मार्च, 2011 से प्रारंभ होनेवाले एक साल की अवधि के लिए निम्नलिखित सांविधिक समितियों का पुनः गठन भी किया गया :

1. कार्यकारी समिति (सात सदस्य)

- क) अध्यक्ष - पदेन - अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड
ख) उपाध्यक्ष - श्री रोय के. पाउलोस
ग) प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करनेवाला
एक सदस्य जिनको चक्रानुक्रम से सालाना नामित किया जाना है - डॉ.ए. जयतिलक, भा.प्र.से
घ) वित्त से जुड़े केंद्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
करनेवाला एक सदस्य - श्रीमती अमरित राज
ड.) सदस्य, स्पाइसेस बोर्ड - श्री पी.एम. सुरेशकुमार, सचिव
च) मसाले कृषकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री जोजो जोर्ज
छ) मसाले निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री फिलिप कुरुविळा

2) इलायची के लिए अनुसंधान व विकास समिति (10 सदस्य)

- क) अध्यक्ष - पदेन - अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड
ख) उपाध्यक्ष - श्री रोय के. पाउलोस
ग) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य
जिनको चक्रानुक्रम से सालाना नामित किया जाना है। - (भर लिया जाएगा)
घ) कृषि से जुड़े केंद्रीय सरकार के मंत्रालय
का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री. संजीव चोप्रा
ड.) एलटेरिया कार्डमोमं मेटन कृषकों का
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री. जी. मुरलीधरन
च) अमोमम सुबुलैटम रोकसब कृषकों का
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री के. के. सिंह
छ) एन आर सी एस (अब आई आई एस आर)
का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - निदेशक, आई आई एस आर, कोषिककोड
ज) इलायची अनुसंधान के प्रभारी बोर्ड के अधिकारी - निदेशक (अनुसंधान)
झ) इलायची विकास के प्रभारी बोर्ड के अधिकारी - निदेशक (विकास)
ञ) मसाले निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - श्री माधवन

3. मसालों के लिए विपणि विकास समिति (11 सदस्य)

- क) अध्यक्ष - पदेन - अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड
ख) उपाध्यक्ष - श्री रोय के. पाउलोस
ग) सदस्य, सी एफ टी आर आई - निदेशक, सी एफ टी आर आई, मैसूर
घ) वाणिज्य से जुड़े केंद्रीय सरकार के मंत्रालय का
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सदस्य - निदेशक (रोपणि)
ड.) व्यापार के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले
तीन सदस्य - 1. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
2. डॉ. विजू जेकब
3. श्री पी. जे. कुञ्जच्चन
च) भारतीय निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक अधिकारी - ई आई ए का अधिकारी

छ) विपणि विकास से संबंधित बोर्ड का अधिकारी
ज) मसाले कृषकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दो सदस्य

- निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड
- 1. श्री. अबुल कलाम
2. श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी

सामान्य

1. कृत्रिम हल्दी

श्री पी.जे. कुञ्जच्चन ने उच्च मूल्य पर (16 यू. एस .डोलर/कि.ग्रा.) कृत्रिम कुरक्युमिन के खतरनाक निर्यात/बिक्री की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो हैदराबाद में बनाया जाता है और कैंसर का कारण बननेवाला माल पाया गया है। चूँकि इस सामग्री की खपत बढ़ती जाती रिपोर्ट की जाती है, सदस्यों ने इस माल पर रोक लगाने की माँग की। अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि थोड़ी मात्रा में यह माल खरीदी जाए और प्रयोगशालाओं में खतरनाक रासायनिकों एवं अन्य पैरामीटरों के लिए उसकी जाँच की जा सकती है और ठोस प्रमाण के साथ, इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया जा सकता है। श्री विजू जेकब ने इसके लिए कुछ लाक्षणिक जाँच का सुझाव भी किया। अध्यक्ष महोदय ने जाँच करने का कार्य आई आई टी को सौंपने का सुझाव भी किया ताकि वैज्ञानिक आंकड़े संकलित करके आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा जाय।

2. बोर्ड-बैठक

श्री फिलिप कुरुविळा ने मई 2011 के मध्य तक वर्तमान अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल के समापन के पहले एक और बोर्ड-बैठक बुलाने और अगली बोर्ड-बैठक 17 मई, 2011 को रखने का सुझाव किया। अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि बोर्ड-बैठक की तारीख बाद में तय की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए सायं 5.00 बजे बैठक समाप्त हुई।

.....